

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

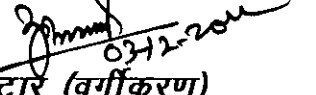
कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 165 /2022 दिनांक 03.12.2022

श्रीमती संध्या पूनिया (RJ1179), सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, (पूर्व) जयपुर महानगर-I को दिनांक 17.12.2022 से 23.12.2022 तक 07 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 24.12.2022 से 01.01.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती आर्य की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, जयपुर महानगर-I इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, (पूर्व) जयपुर महानगर-I के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

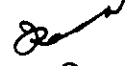

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/44/2017/ 8180

दिनांक 03.12.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-I को उनके पत्रांक 4479 दिनांक 19.11.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती संध्या पूनिया (RJ1179), सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, (पूर्व) जयपुर महानगर-I
4. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, (पूर्व) जयपुर महानगर-I
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, जयपुर महानगर-I


सहायक रजिस्ट्रार